न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 –5/2019

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी सवाईछानी त0 भादरा हनुमानगढ़।

–प्रार्थी

बनाम

1. गुडडी पत्नी फुलाराम जाति जाट निवासी सवाईछानी त0 भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–श्री प्रेमप्रकाश वकील –प्रार्थी
राजपैरोकार –राज0 सरकार

निर्णय दिनांक 30/01/2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा रोही मौजा चक 4 जेएसएल के खाता सं0 71/17 व चक 4 जेएसएल के खाता सं0 118/117 में मुश्तर्का खाता में प्रार्थी की खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम विरासतन दर्ज करते समय प्रार्थी का सही नाम ओमप्रकाश पुत्र फूलाराम के स्थान पर प्रकाश पुत्र फूलाराम दर्ज हो गया।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम ओमप्रकाश की बजाऐ प्रकाश दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। जबकि प्रार्थी के परिवार राशनकार्ड, वोटरलिस्ट, फोटो पहचान पत्र, आधारकार्ड, बैंक पास बुक, में भी प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पुत्र फूलाराम दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत गढीछानी के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में ओमप्रकाश की बजाऐ प्रकाश दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम प्रकाश पुत्र फूलाराम के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम ओमप्रकाश पुत्र फूलाराम दर्ज करा पाने का मजाज कानूनी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया व प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा ईकबालदावा पेश किया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने चक 4 जेएसएल के खाता सं0 71/17 व चक 4 जेएसएल के खाता सं0 118/117 के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि " **प्रार्थी का नाम विरासतन दर्ज करते समय प्रार्थी का सही नाम ओमप्रकाश के स्थान पर प्रकाश दर्ज हो गया।** " जिसके समर्थन में प्रार्थी ने अपना मुख्य परीक्षा का शपथ पेश कर प्रमाणित प्रति नामांतरण रजिस्टर चक 4 जेएसएल प्रदश 1, मृत्यू प्रमाण पत्र फूलाराम पुत्र चंदगीराम प्रदर्श 2,नकल जमाबंदी प्रमाणित प्रति संवत 2072–75 खाता सं० 71/17 प्रदर्श 3, प्रमाणित प्रति जमाबंदी चक 4 जेएसएल खाता सं० 117/117 प्रदर्श 4, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गढीछानी प्रदर्श 5, पैन कार्ड प्रदर्श 6ए, जॉब कार्ड नरेगा प्रदर्श 7, आधार कार्ड प्रदर्श 8ए, बैंक पास बुक प्रदर्श 9ए, मतदाता पहचान पत्र प्रदर्श 10ए, राशन कार्ड प्रदर्श 11ए, परिवार भामाशाह प्रदर्श 12ए जिनमें प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा चक 4 जेएसएल के खाता सं० 71/17 व चक 4 जेएसएल के खाता सं० 118/117 में मुश्तर्का खाता में प्रार्थी का नाम **"प्रकाश पुत्र फूलाराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र फूलाराम"** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.03.16 15:01:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: